



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➤ अलवर में दो चिकित्साधिकारी एवं दलाल (प्राइवेट व्यक्ति) 25 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

जयपुर, 26 मई, रविवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की अलवर—द्वितीय हाल भिवाड़ी इकाई द्वारा आज प्रतापगढ़, अलवर में कार्यवाही करते हुये डॉ. समर्थ लाल मीणा, डॉ. योगेश शर्मा दोनों चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रतापगढ़, जिला अलवर एवं उनके दलाल सुनील गोयल मेडिकल स्टोर संचालक, प्रतापगढ़, जिला अलवर (प्राइवेट व्यक्ति) को परिवादी से 25 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. की अलवर—द्वितीय हाल भिवाड़ी इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि थाना प्रतापगढ़ में दर्ज मारपीट के मुकदमें में गंभीर चोटों की एम.एल.सी. रिपोर्ट पक्ष में बनाने की एवज में डॉ. समर्थ लाल मीणा, डॉ. योगेश शर्मा दोनों चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रतापगढ़, जिला अलवर द्वारा 1 लाख रुपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत के सुपरवीजन में एसीबी अलवर—द्वितीय हाल भिवाड़ी इकाई के उप अधीक्षक पुलिस श्री परमेश्वर लाल के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनके द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपीगण डॉ. समर्थ लाल मीणा, डॉ. योगेश शर्मा दोनों चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रतापगढ़, जिला अलवर एवं उनके दलाल सुनील गोयल मेडिकल स्टोर संचालक, प्रतापगढ़, जिला अलवर (प्राइवेट व्यक्ति) को परिवादी से 25 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी डॉ. योगेश शर्मा चिकित्साधिकारी द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान भी परिवादी से 15 हजार रुपये रिश्वत राशि के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की **हैल्पलाइन नं. 1064** एवं **Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834** पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।